बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र04/ख.वि.अधि.– 9004 खाद्य, पटना/ दिनांक– 01/12/15

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह,
मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

विषयः– **विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) व्यवस्था के माध्यम से खरीफ विपणन मौसम 2015–16 अन्तर्गत धान/चावल की अधिप्राप्ति कार्यक्रम हेतु कार्ययोजना एवं मार्ग निर्देश।**

महाशय,

राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2015–16 के लिए 30 लाख मे0टन धान की अधिप्राप्ति (न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आवश्यक है कि इस वर्ष भी अधिप्राप्ति के लिए विशेष व्यवस्था की जाय, ताकि यह सुनिश्चित हो कि क्रय सही किसानों से ही हो, व्यापारियों या बिचौलियों से नहीं। धान की अधिप्राप्ति विशेष व्यवस्था के तहत विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) व्यवस्था के अन्तर्गत की जा रही है। पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल धान अधिप्राप्ति हेतु क्रय केन्द्र की स्थापना की जायगी। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा भी अनुमंडल स्तर पर क्रय केन्द्र स्थापित की जायगी। पैक्स/व्यापार मंडल अधिप्राप्ति धान का मिलिंग कराकर केवल तैयार सी0एम0आर0 नोडल एजेन्सी बिहार राज्य खाद्य निगम के सी0एम0आर0 केन्द्र पर जमा करेंगें। पैक्स/व्यापार मंडल एवं निगम क्रय केन्द्रों पर अधिप्राप्ति धान का मिलिंग बिहार राज्य खाद्य निगम (नोडल एजेन्सी) द्वारा ऑनलाईन पंजीकृत/एकरारनामित मिल (गैरप्रमादी) एवं पैक्स संचालित मिल के माध्यम से कराकर भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप सी0एम0आर0 जमा किया जायेगा। उक्त प्राप्त सी0एम0आर0 (चावल) का उपयोग भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सरकार के अन्य कल्याणकारी योजनान्तर्गत किया जायेगा। राज्य सरकार ने पूर्व वर्ष की भॉति इस वर्ष भी अधिप्राप्ति के अभियान को निर्वाचन कार्य सदृश प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।

खरीफ विपणन मौसम 2015–16 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य धान साधारण 1410/– रू0 एवं धान ग्रेड "ए" 1450/– रू0 प्रति क्वी0 निर्धारित किया गया है। खेती करने वाले किसानों से धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम दिनांक 05.12.2015 से 31.03.16 तक तथा सी0एम0आर0 प्राप्ति का कार्यक्रम दिनांक 30.06.16 तक प्रभावी रहेगा।

2. **अधिप्राप्ति कार्यक्रम की मुख्य विशेषतायें**

- खरीफ विपणन मौसम 2015–16 अन्तर्गत धान की अधिप्राप्ति पूर्व व्यवस्था के तहत विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) योजना के माध्यम से किया जायेगा।
- अधिप्राप्ति किये गये धान का सी0एम0आर0 पैक्स/व्यापार मंडल एवं निगम द्वारा पंजीकृत (गैर प्रमादी) मिलर एवं पैक्स संचालित मिल के माध्यम से तैयार कराकर तथा उसकी गुणवता की जॉचोपरान्त प्राप्त कर उक्त सी0एम0आर0 का उपयोग भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत किया जायेगा।
- अधिप्राप्ति कार्य हेतु राज्य खाद्य निगम को नोडल ऐजेन्सी नियुक्त किया गया है।
- किसानों से धान का क्रय की कार्रवाई मुख्यतः पंचायत स्तर पर पैक्स, प्रखण्ड स्तर पर व्यापार मंडल एवं अनुमंडल स्तर पर राज्य खाद्य निगम द्वारा संचालित क्रय केन्द्र के माध्यम से किया जाना है।

- गत वर्ष की भांति पैक्स/व्यापार मंडल अधिक प्रभावी रूप से धान अधिप्राप्ति के साथ–साथ राज्य खाद्य निगम द्वारा पंजीकृत (गैर प्रमादी) एवं पैक्स संचालित मिल, जो जिला टास्क समिति द्वारा अनुमोदित हो से ही क्रय धान का शत प्रतिशत मिलिंग कराकर केवल सी0एम0आर0 निगम के सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्र में जमा करेगी।

- पैक्स/व्यापार मंडल एवं निगम चयनित तथा एकरारनामित मिल से एक माह की मिलिंग क्षमता को ध्यान में रखकर धान के मूल्य के समतुल्य बैंक गारन्टी/बैंक ड्राफ्ट प्राप्त कर एकरारनामा करके धान की आपूर्ति करना सुनिश्चित करेंगें तथा उसके समतुल्य सी0एम0आर0 प्राप्त करेंगें। धान के समानुपातिक सी0एम0आर0 प्राप्त करने के पश्चात् ही पुनः धान की आपूर्ति करेंगें एवं क्रम जारी रखा जायेगा, ताकि किसी भी परिस्थिति में अग्रिम धान मिलरों के पास नहीं रहे एवं पूर्ववर्ती वर्षों में आई समस्या उत्पन्न न हो।

- किसानों का ऑनलाईन पंजीकरण आधारित डाटाबेस पर ही किसानों से धान क्रय किया जायेगा। नोडल एजेन्सी द्वारा तैयार अधिप्राप्ति सॉफटवेयर पर किसान का ऑनलाईन डाटाबेस संधारित होगा। सहकारिता विभाग एवं कृषि विभाग के समन्वय से किसानों का डाटा बेस तैयार किया जायेगा। जिसका स्क्रीनिंग कराकर बेवसाईट पर अपलोड होगा । छुटे हुए किसानों/संशोधित इच्छुक किसानों का ऑनलाईन पंजीकरण वसुधा केन्द्रों के माध्यम से भी किया जायेगा। जिसमें किसानों के जमीन से संबंधित कागज एवं परिचय पत्र से संबंधित कागजात स्कैन कर आवेदन के साथ अपलोड होगा एवं उक्त हार्ड कॉपी की एक प्रति स्वहस्ताक्षरित कर क्रय केन्द्रों एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायगा जो उसका सत्यापन कराकर Authenticate करेंगे। सहकारिता विभाग इसमें मुख्य भूमिका का निर्वहन करेगी एवं राज्य खाद्य निगम आवश्यक तकनीकी सहयोग करेगी।

- किसानों से धान का क्रय प्रति किसान से अधिकतम सीमा 100 (एक सौ) क्विंटल तक निर्धारित रहेगी ताकि लघु/सीमान्त किसानों को न्यनूतम समर्थन मूल्य का लाभ अधिक से अधिक मिल पाये।

- राज्य में गठित सभी पैक्स एवं व्यापार मंडल धान क्रय केन्द्र हेतु क्रियाशील रहेंगें। तकनीकी अथवा वैधानिक कारणों से पैक्स/व्यापार मंडल के अक्रियाशील रहने की स्थिति में सहकारिता विभाग बगल के पैक्स/व्यापार मंडल के साथ उनकी सम्बद्धता की व्यवस्था करेगीं ताकि पंचायत के किसानों को धान बिक्री में कोई असुविधा न हो।

- पंजीकृत किसानों के क्रय किए गए धान का मूल्य पंजीकृत किसानों को धान के विरूद्ध पंचायत स्तर पर पैक्स/ प्रखण्ड स्तर पर व्यापार मंडल एवं निगम क्रय केन्द्र से RTGS/NEFT के माध्यम से क्रय के बाद तत्काल भुगतान की व्यवस्था की जायेगी, किसी भी परिस्थिति में किसानों से क्रय किए धान का बकाया नहीं रखा जायेगा।

- पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा अधिप्राप्त धान के समतुल्य सी0एम0आर0 जमा करते समय पंजीकृत किसानों को क्रय धान के विरूद्ध RTGS/NEFT के माध्यम से किये गये भुगतान के साक्ष्य (Advice) के आधार पर निगम द्वारा प्रतिपूर्ति की राशि कमीशन सहित भुगतान किया जायेगा।

- धान अधिप्राप्ति एवं विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति कार्य राज्य खाद्य निगम राज्य सरकार के निर्णयानुसार नोडल एजेन्सी के रूप में करती है। धान अधिप्राप्ति में सम्बद्ध सभी राशि सरकारी राशि है।

- धान अधिप्राप्ति एवं विकेन्द्रीकत अधिप्राप्ति का कार्य भारत सरकार के निदेशानुसार Online Procurement Management System (OPMS) के माध्यम से सम्पन्न होगा एवं दैनिक प्रतिवेदन सहकारिता विभाग को भेजने के साथ राज्य खाद्य निगम को भेजा जाएगा एवं एक प्रति एफ0सी0आई0 के जिला कार्यालय/क्षेत्रीय प्रबंधक को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

- नोडल एजेन्सी के रूप में राज्य खाद्य निगम अधिप्राप्ति सॉफ्टवेयर के माध्यम से धान क्रय, भुगतान एवं सी0एम0आर0 प्राप्ति का कार्य चरणबद्ध रूप में सम्पन्न करेगी।
- राज्य सरकार द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय के अक्षरशः अनुपालन हेतु प्रत्येक जिले में निम्नांकित व्यवस्था अनिवार्य रूप से अविलम्ब कर ली जाय।

3. **<u>लक्ष्य का निर्धारण</u>**

इस वर्ष राज्य में कम वर्षा होने के कारण कृषि विभाग के अनुमान के अनुसार धान का उत्पादन कम होने की संभावना के कारण अधिप्राप्ति पर भी प्रभाव पड़ेगा, अतः धान अधिप्राप्ति का सांकेतिक लक्ष्य 30.00 लाख मे0टन रखने का निर्णय लिया गया है, जिसमें विभिन्न एजेन्सियों का सांकेतिक लक्ष्य निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है:–

	<u>धान</u>	<u>सी0एम0आर0</u>
पैक्स / व्यापार मंडल	27.00 लाख	18.09 लाख
बिहार राज्य खाद्य निगम	<u>3.00 लाख</u>	<u>2.01 लाख</u>
कुल	30.00 लाख	20.10 लाख

पैक्स / व्यापार मंडल के लिए धान अधिप्राप्ति का सांकेतिक लक्ष्य 90% प्रतिशत (27 लाख मे.टन.) तथा निगम द्वारा अनुमंडल स्तर पर संचालित क्रय केन्द्रों के लिए धान अधिप्राप्ति का सांकेतिक लक्ष्य 10% (3 लाख मे0टन) को निर्धारित किया जाता है। पैक्स / व्यापार मंडल एवं निगम क्रय केन्द्रों पर ऑनलाईन पंजीकृत किसानों से ही धान क्रय करने की व्यवस्था रहेगी। पैक्सों द्वारा निर्धारित धान के लक्ष्य के समतुल्य सी0एम0आर0 की आपूर्ति निगम के सी0एम0आर0 गोदाम में की जायेंगी। राज्य खाद्य निगम इस वर्ष अतिरिक्त सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्र की स्थापना करेगी, ताकि पैक्सों को सी0एम0आर0 जमा करने में कठिनाई न हो। इस हेतु निगम के पास उपलब्ध बड़े गोदामों को चिन्हित कर गोदाम प्रबंधक एवं गुणवत्ता नियंत्रक की तत्काल प्रतिनियुक्ति की जायेगी।

सम्यक् विचारोपरान्त खरीफ विपणन मौसम 2015–16 अन्तर्गत जिलावार निर्धारित सांकेतिक लक्ष्य इस पत्र के साथ संलग्न है। आपसे यह भी अपेक्षा है कि इस लक्ष्य को आप अपने स्तर से प्रखण्डवार / पंचायतवार निर्धारित करें, ताकि अधिप्राप्ति कार्य हेतु आवश्यकतानुसार पैक्स एवं बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा पर्याप्त तैयारी ससमय की जा सके। उल्लेखनीय है कि धान अधिप्राप्ति का यह लक्ष्य सांकेतिक है एवं किसी जिला या अभिकरण द्वारा इस लक्ष्य से अधिक या कम भी अधिप्राप्ति की जा सकती है।

पैक्सवार / व्यापार मंडलवार धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित करते समय जिला पदाधिकारी, जिला में धान उत्पादन की वास्तविक आँकड़ों को ध्यान में रखेंगें कि किसी भी स्थिति में धान अधिप्राप्ति उत्पादन सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

4. **<u>क्रय केन्द्रों का निर्धारण</u>**

खरीफ विपणन मौसम 2015–16 अन्तर्गत किसानों से धान का क्रय मुख्य रूप से पंचायत स्तर पर पैक्स, प्रखण्ड स्तर पर व्यापार मंडल एवं अनुमंडल स्तर पर बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा एक–एक क्रय केन्द्र की स्थापना की जायेगी। मूल रूप से क्रय केन्द्र स्थापित करने की जिम्मेवारी सहकारिता (पैक्स / व्यापार मंडल) एवं बिहार राज्य खाद्य निगम की है। आप यह सुनिश्चित करें कि आपके जिले में संचालित सभी क्रय केन्द्रों में निम्नांकित तैयारियॉं पूरी कर ली गई हैं:–

- क्रय केन्द्रों एवं महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर अधिप्राप्ति कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना का बैनर / दीवार अभिलेखन।
- क्रय केन्द्र हेतु प्रतिदिन अनुमानित अधिप्राप्ति के आकलन के अनुरूप भंडारण हेतु गोदाम की समुचित व्यवस्था।
- माप तौल यंत्र की व्यवस्था।

- Moisture Meter की व्यवस्था एवं Calibration।
- पर्याप्त रोशनी/विद्युत की व्यवस्था।
- माप दंड के अनुरूप दक्ष एवं योग्य कर्मियों की व्यवस्था।
- पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था।
- केन्द्र के आस–पास पर्याप्त खुले स्थान का होना।
- विहित प्रक्रिया के अनूरूप पंजियों का संधारण।
- किसानों को RTGS/NEFT के माध्यम से अविलम्ब (48 घंटों के अन्दर) भुगतान हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का पदस्थापन।
- प्रत्येक दिन किसानों से प्राप्त किये गये धान को निर्धारित आवश्यकतानुसार बेस गोदाम/अन्य एकरारनामित मिल पर पहुँचाने हेतु परिवहन व्यवस्था।
- पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा सी0एम0आर0 का परिवहन कर निगम द्वारा संचालित निकटतम सी0एम0आर0 गोदाम में स्वयं अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष सी0एम0आर0 की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगें। गत वर्षों की भांति जिला स्तर पर अधिसूचित परिवहन अभिकर्ता के अलावा स्वैच्छिक आधार पर मिलर को भी परिवहन का कार्य करने का स्वतंत्र विकल्प उपलब्ध रहेगा। जी0पी0एस0 युक्त वाहनों से ही परिवहन का कार्य कराने की प्राथमिकता सुनिश्चित की जायेगी।
- पैक्स एवं निगम क्रय केन्द्र द्वारा प्रतिदिन किये गये अधिप्राप्ति कार्यों की निर्धारित प्रपत्र में संक्षिप्त विवरणी अधिप्राप्ति सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन/ MS-Excel, Kruti Dev 010 के माध्यम से प्रखण्ड/जिला/मुख्यालय को भेजने की व्यवस्था।
- अधिप्राप्ति अवधि समाप्त होते ही (31.03.16) को जिला पदाधिकारी सभी क्रय केन्द्र – पैक्स/व्यापार मंडल एवं निगम क्रय केन्द्र से विहित प्रपत्र में धान क्रय का अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त कर दैनिक प्रतिवेदन पूर्ववत् बिना चूक के भेजेंगे एवं उसका संयुक्त भौतिक सत्यापन (विडियोग्राफी सहित) जी0पी0एस0 आधारित फोटोग्राफी/विडियोग्राफी, क्रय केन्द्र से ही अपलोड करायेंगे एवं समेकित कराकर प्रतिवेदन अधिकतम दस दिनों के अंदर तक सहकारिता विभाग, निगम मुख्यालय एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को ई–मेल के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगें।
- पैक्स/व्यापार मंडल बायदा आधारित धान का क्रय किसी भी परिस्थिति में नहीं करेंगें। सहकारिता विभाग यह सुनिश्चित करेगी कि पैक्सों/व्यापार मंडल को नगद ऋण अधिसीमा (सी0सी0 लिमिट) आवश्यकतानुसार अविलम्ब उपलब्ध करायें।
- सहकारिता विभाग द्वारा क्रियाशील किये जाने वाले पैक्स/व्यापार मंडल को कम से कम 100 मे0टन का गोदाम अनिवार्य रूप से हो। बिना गोदाम वाले पैक्स क्रियाशील नहीं हो। यदि पैक्स के पास अपना गोदाम नहीं हो, तो वे किराये पर गोदाम लेकर अधिप्राप्ति कार्य कर सकते हैं।
- जिन पैक्स/व्यापार मंडल एवं निगम क्रय केन्द्र पर पहुँच पथ न हो तो अविलम्ब जिला पदाधिकारी एवं संबंधित विभाग से सम्पर्क कर उसे Motorable बनाना सुनिश्चित करें।
- पैक्स/व्यापार मंडल एवं निगम क्रय केन्द्र पर धान उपलब्ध कराने वाले सभी कृषकों को धान प्राप्ति के उपरान्त प्राप्ति रसीद सभी संबंधित पदाधिकारी उपलब्ध करायेंगें।
- कृपया पूर्व निर्गत निदेश के आलोक में यह सुनिश्चित करें कि आपके जिले में उपर्युक्त तैयारियों के साथ दिनांक 01.12.2015 से निर्धारित धान अधिप्राप्ति/क्रय केन्द्र पूर्ण रूप से कार्यरत/क्रियाशील हो जाय।

5. <u>भंडारण की व्यवस्था</u>

बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा बाजार समिति प्रांगण में गोदाम/कैप भंडारण की व्यवस्था की जाती रही है। पूर्व में दिये गये निदेश के अनुसार जिले में अवस्थित बाजार समिति प्रांगण में उपलब्ध गोदाम, औधोगिक क्षेत्र के प्रागंण क्षेत्र में अवस्थित गोदाम, टाउन हॉल, खाली पड़े बिहार राज्य वित्त निगम एवं अन्य संस्थाओं के गोदाम/कोल्ड स्टोरेज तथा बड़े–बड़े निजी गोदामों का सर्वेक्षण कराकर इसे भंडारण हेतु पैक्स/व्यापार मंडल एवं बिहार राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अगर राज्य खाद्य निगम को निर्धारित दर पर निजी गोदाम उपलब्ध नहीं होता है तो उन गोदामों का किराया संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–गृह नियंत्रण पदाधिकारी के माध्यम से निर्धारित कराकर राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध करायी जाय। तद्नुसार राज्य खाद्य निगम द्वारा निजी गोदामों के किराये का भुगतान किया जायेगा।

अधिप्राप्ति धान भण्डारण हेतु प्रयुक्त सभी गोदाम एवं सभी सी0एम0आर0 गोदाम अधिसूचित होंगें। सभी अधिसूचित गोदाम का सॉफ्टवेयर पर सूची दर्ज रहेगी तथा सभी गोदाम का फोटो अपलोडेड रहेगा। सभी अधिसूचित गोदाम का Mapping (अक्षांश/देशान्तर) भी सूची में अंकित रहेगा ताकि गोदाम के सही Location की पहचान आसानी से हो सके।

पैक्स, व्यापार मंडल एवं निगम के धान अधिप्राप्ति हेतु क्रियाशील गोदामों पर निम्न व्यवस्था रहेगी:–

- निर्धारित मापदंड के अनुरूप गुणवत्ता जॉच की व्यवस्था एवं ड्रेनेज मटेरियल की उपलब्धता।
- निर्धारित मापदंड के अनुरूप तारपोलिन/तिरपाल की उपलब्धता।
- निर्धारित मापदंड के अनुरूप नाइलन की रस्सी।
- घेराबन्दी अगर पूर्व से उपलब्ध न हो।
- कैंप कार्यालय की व्यवस्था।
- पर्याप्त रोशनी (लाईटिंग) की व्यवस्था।
- अग्नि शामक यंत्र की व्यवस्था।
- सुरक्षा की व्यवस्था।
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप योग्य कर्मियों की उपलब्धता।
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप पंजियों का संधारण।
- प्रतिदिन Procurement Software पर ऑनलाईन/निर्धारित प्रपत्र में MS-Excel, Kruti Dev 010 के माध्यम से प्रतिवेदन तैयार कराकर प्रखण्ड/अनुमण्डल कार्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था।
- बेस गोदाम से मिलिंग हेतु सम्बद्ध मिल एवं राज्य से बाहर भेजने हेतु परिवहन की व्यवस्था।
- खाद्यान्न की भंडारण की सीमित क्षमता को दृष्टिपथ रख खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण हेतु समुचित भंडारण क्षमता के गोदाम के निर्माण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है तथा निकट भविष्य में कई नये निर्मित खाद्यान्न भंडारण गोदाम उपलब्ध होने की प्रबल संभावना है। वैकल्पिक व्यवस्था अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा कैप स्टोरेज हेतु निर्धारित मानक एवं प्रक्रिया का अनुपालन अपेक्षित है, जो निगम मुख्यालय के पत्रांक 1269 दिनांक 6.2.2013 के माध्यम से संसूचित किया गया है।

6. **<u>मिलिंग की व्यवस्था</u>**

पैक्स/व्यापार मंडल के द्वारा शत प्रतिशत अधिप्राप्ति धान को निगम द्वारा चयनित, पंजीकृत/एकरारनामित मिल के माध्यम से मिलिंग कराकर अधिसूचित सी0एम0आर0 गोदाम पर सी0एम0आर0 उपलब्ध कराया जायेगा। निगम द्वारा भी अधिप्राप्ति धान को पंजीकृत मिलर से मिलिंग कराकर सी0एम0आर0 गोदाम में सी0एम0आर0 जमा करेंगें। मिलिंग हेतु मिलरों को धान की आपूर्ति मिलरों से प्राप्त सी0एम0आर0 एवं बैंक गारंटी/बैंक ड्राफ्ट के अनुरूप हो, किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त धान मिलरों को नहीं दी जायेगी।

भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य खाद्य निगम के संयुक्त उड़नदस्ता के गठित दल द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में भण्डारित अधिप्राप्ति धान/सी0एम0आर0 की गुणवत्ता, भण्डारण एवं प्रबंधन की जॉच समय–समय पर की जायेगी एवं उसकी प्रति निगम मुख्यालय एवं विभाग को भेजेंगें।

इसके अलावा मिलिंग से संबंधित निम्न कार्रवाई भी सुनिश्चित की जायः–

- वैसे प्रमादी मिलर जो गत वर्षो में निर्धारित अवधि में सी0एम0आर0 हस्तगत कराने में असफल रहे हैं, वे अवशेष सी0एम0आर0 के समतुल्य राशि सभी प्रकार देयता सहित निगम खाता में जमा कर देते हैं तो खरीफ विपणन मौसम 2015–16 में अधिप्राप्ति धान की कुटाई हेतु सत्यापनोपरान्त एकरारनामा के पात्र होंगें।

- एकरारनामित मिलों के चयन के पूर्व संबंधित जिला प्रबंधक एवं जिला में पदस्थापित एवं अधिप्राप्ति कार्य के लिए मनोनित वरीय उपसमाहर्ता/जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से मिलों के भौतिक सत्यापन के क्रम में मिल के मालिक का नाम एवं पता तथा उद्योग विभाग द्वारा मिल के मालिक के नाम में निर्गत अनुज्ञप्ति की अद्यतन स्थिति, अधिष्ठापित उपस्कर के आलोक में दैनिक/मासिक मिलिंग की क्षमता, मिल के सम्प्रति कार्यरत रहने संबंधित प्रमाण पत्र की जॉच एवं मिल परिसर में छतदार भंडारण की क्षमता का व्यवहारिक आकलन कर ली जाय। इस क्रम में विगत वर्शो के अनुभव के आधार पर छद्म मिल/मिलर तथा गत खरीफ विपणन मौसम में शत–प्रतिशत सी0एम0आर0 नहीं हस्तगत कराने वाले मिल से एकरारनामा नहीं की जाय।

- पैक्स/व्यापार मंडल, राज्य खाद्य निगम द्वारा पंजिकृत मिलरों से एकरारनामा करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाय कि संबंधित मिलर द्वारा समर्पित बैक ड्राफ्ट/Bank Guarantee के अनुरूप/अनुपात तथा संबंधित मिल के मिलिंग क्षमता के आलोक में अग्रिम सी0एम0आर0 प्राप्त होने के पश्चात अधिप्राप्ति धान की मात्रा विहित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध करायी जाय साथ ही साथ भविष्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी/गबन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई/वसूली में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

- उपर्युक्त प्रक्रिया के उपरांत मानक के अनुसार Short Listed किये गये पंजीकृत मिल के मालिकों के साथ जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जाय जिसमें सरकार/निगम की अधिप्राप्ति के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मिलरों की भूमिका एवं मिलरों से अपेक्षाओं पर विचार विमर्श हो सके तथा विगत वर्षो में उत्पन्न व्यवधान के निराकरण हेतु समाधान पर भी विचारण हो सके। उक्त बैठक के उपरांत Short Listed मिल के मालिकों से एकरारनामा की जाये।

- सभी संबद्ध पैक्स संचालक को उनके संबद्ध मिल पर प्रतिनियुक्त राज्य खाद्य निगम के पदाधिकारी का मोबाईल नं0 अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवा दिया जाय।

- प्रत्येक मिल पर सुचारू रूप से मिलिंग कार्य हेतु यह अनिवार्य है कि जिला के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी मिलिंग के समय उपलब्ध हों एवं यह सुनिश्चित करें कि मिलिंग क्षमता का अधिकतम उपयोग हो रहा हो एवं क्षमता/भंडार से अधिक धान अनावश्यक रूप से मिल नहीं पहुँचाया जाय।

- मिल पर प्रतिनियुक्त जिला के पदाधिकारी/सहकारिता विभाग के पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि तैयार सी0एम0आर0 को भारत सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुरूप पूर्व से अधिसूचित बिहार राज्य खाद्य निगम के सी0एम0आर0 गोदाम में भेजे।
- मिल से बिहार राज्य खाद्य निगम के सी0एम0आर0 गोदाम में सी0एम0आर0पहुँचाने हेतु पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा पर्याप्त मात्रा में परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
- पैक्स/व्यापार मंडल एवं निगम द्वारा एकरारनामित मिल पर जिला के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के लिए कैम्प ऑफिस की व्यवस्था की जाय।
- कैम्प ऑफिस में संधारित होने वाले पंजियों की व्यवस्था एवं प्रत्येक दिन का प्रतिवेदन कम्प्युटर के MS-Excel, Kruti Dev 010 के माध्यम से प्रखण्ड/अनुमण्डल कम्प्युटर केन्द्र में भेजने की व्यवस्था।
- सभी एकरारनामित मिल अधिप्राप्ति सॉफ्टवेयर से सम्बद्ध रहेंगें।
- विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था के संबंध में विस्तृत प्रक्रिया बिहार राज्य खाद्य निगम के पत्रांक 9955 दिनांक 4.11.13 द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को पूर्व में ही भेजी जा चुकी है। दिनांक 2.12.13 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित विडियो कॉन्फ्रेन्स में भी इसकी विस्तृत समीक्षा की गई है जिसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. **धान क्रय केन्द्र पर किसानों से प्राप्त किये जाने वाले कागजात**

- भूमि सम्बन्धी दस्तावेज–अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र/हाल का माल गुजारी रसीद/किसान क्रेडिट कार्ड– इनमें से कोई एक। राजस्व रसीद/भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र की संभावित जालसाजी के रोकने के लिए प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी के हस्ताक्षर का नमूना निगम क्रय केन्द्र एवं पैक्स क्रय केन्द्र को उपलब्ध कराया जायेगा।
- किसानों का फोटोयुक्त पहचान पत्र–मतदाता पहचान पत्र/पासबुक की छाया प्रति/किसान क्रेडिट कार्ड की छाया प्रति/ड्राइविंग लाईसेंस एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य दस्तावेज– इनमें से कोई एक।
- सभी क्रय के क्रम में पंजीकृत किसानों की सूची से मिलान सुनिश्चित करना।
- खरीफ विपणन मौसम 2015–16 अन्तर्गत साफ सुथरे एवं सूखे हुए धान जिसकी नमी की मात्रा भारत सरकार द्वारा निर्धारित 17 प्रतिशत से अधिक न हो, की अधिप्राप्ति की जाय।
- पैक्सों/व्यापार मंडलों द्वारा तैयार सी0एम0आर0 का हस्तांतरण संबद्ध निगम के अधिसूचित सी0एम0आर0 गोदाम पर विहित प्रपत्र में निर्गत प्रवर्तन प्रमाण पत्र के आधार पर किया जायेगा, राज्य खाद्य निगम अतिरिक्त सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्र की स्थापना करेगी, ताकि पैक्सों का दबाब कम हो।

8. **भुगतान की व्यवस्था**

कृपया यह सुनिश्चित करें कि सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप सभी किसानों को क्रय किये गये धान का भुगतान अविलम्ब RTGS/NEFT के माध्यम से संबंधित क्रय केन्द्र पर कर दिया जाय एवं विशेष आपातकालीन परिस्थिति में ही अपवादस्वरूप Account Payee के माध्यम से संबंधित क्रय केन्द्र पर ही पारदर्शी तरीके से कर दिया जायेगा। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु निम्नांकित कार्रवाई की जायः–

- पैक्स/व्यापार मंडल एवं राज्य खाद्य निगम के प्रत्येक क्रय केन्द्र पर RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का उपलब्ध होना।
- राज्य खाद्य निगम द्वारा इस संबंध में आवश्यकतानुसार जिले या अनुमण्डल स्तर पर अधिप्राप्ति कार्य हेतु बैंक एकाउन्ट खोलना एवं प्रत्येक क्रय केन्द्र पर RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का उपलब्ध होना।

- प्रत्येक बैंक एकाउन्ट में निर्धारित माप दंड के अनुरूप पर्याप्त राशि उपलब्ध होना।
- पैक्स द्वारा क्रय किये गये धान का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से किसानों को क्रय के तुरन्त बाद किया जाना एवं किसी भी किसानों का भुगतान लंबित नहीं रखा जाय एवं भुगतान की सूचना SMS से किसानों को उसके पंजीकृत मोबाईल पर देना।
- पैक्स से सी0एम0आर0 प्राप्ति के आधार पर पैक्स से प्राप्त प्रमाण पत्र एवं विपत्रों की जॉच कर केन्द्रीय सहकारिता बैंक/राज्य सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये चेक पर Your self अंकित करते हुए बैंक एडभाइस जिसमें पैक्सों का नाम, आपूर्ति किये गये सी0एम0आर0 की मात्रा एवं मूल्य अंकित हो, के साथ अनिवार्य रूप से सात दिनों के अन्दर सहकारिता बैंक को भेजना तथा RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित करना।

9. <u>जिला स्तर पर प्रबंधन/अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की व्यवस्थाः–</u>

जिला स्तर पर प्रबंधन/अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु निम्नांकित कार्रवाई की जायः–

- जिला स्तर पर धान/चावल अधिप्राप्ति कार्य की अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी की पूर्णकालिक प्रतिनियुक्ति की जाय।
- प्रबंधन/अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण का कार्य अधिप्राप्ति सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो।
- अनुमण्डल पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे प्रतिदिन अपने अनुमण्डल अन्तर्गत धान अधिप्राप्ति की पूर्ण समीक्षा कर प्रतिवेदन MS-Excel, Kruti Dev 010 में जिला पदाधिकारी को भेंजेगे। अनुमंडल पदाधिकारी अधीनस्त सभी क्रय केन्द्रों का लगातार निरीक्षण कर स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
- प्रत्येक प्रखण्ड में अधिप्राप्ति कार्य के नियमित अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु जिला से एक वरीय उप समाहर्ता की प्रतिनियुक्ति की जाय।
- प्रखण्ड वरीय उप समाहर्ता/जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त सक्षम पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार Enforcement Certificate देने हेतु प्राधिकृत किया जाय।

10. **अधिप्राप्ति कार्य में जिला पदाधिकारी की भूमिका**

- जिलान्तर्गत अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अधिप्राप्ति धान की प्राप्ति एवं उसके समानुपातिक मात्रा में सी0एम0आर0 हस्तगत कराने की जिला स्तर पर पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित जिला पदाधिकारी की होगी।
- क्रय केन्द्रों का निरीक्षण कर वास्तविक किसानों से धान का क्रय को सुनिश्चित करना एवं लगातार क्रय केन्द्रों का निरीक्षण कराकर धान अधिप्राप्ति को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाना, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो।
- जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक आयोजित कर जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक।
- पैक्स/व्यापार मंडल से प्राप्त सी0एम0आर0 एवं बिहार राज्य खाद्य निगम से क्रय धान/प्राप्त सी0एम0आर0 प्रतिदिन क्रय से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त करना एवं मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग तथा सहकारिता विभाग को प्रतिवेदन भेजना।
- बिहार राज्य खाद्य निगम को अनुमण्डल स्तर पर क्रय केन्द्र की स्थापना, भंडारण एवं परिवहन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना एवं निगम क्रय केन्द्र तथा सी0एम0आर0 भण्डारण गोदाम पर आवश्यकतानुसार अनुभवी एवं आरोपरहित कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना।

- राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र/सी0एम0आर0 केन्द्र पर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति पुनः उसी स्थान पर नहीं नहीं हो।
- सहकारिता विभाग के सभी पदाधिकारी बिहार राज्य खाद्य निगम के सहायक प्रबंधकों एवं कुछ मुख्य पैक्सों के साथ मासिक बैठक कर अधिप्राप्ति कार्य की समीक्षा करना।
- राज्य मुख्यालय से सम्पर्क बनाये रखना।

11. **अधिप्राप्ति कार्य में आरक्षी अधीक्षक की भूमिका**

- क्रय केन्द्रों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना।

12. **अधिप्राप्ति कार्य में बिहार राज्य खाद्य निगम की भूमिका**

- प्रत्येक अनुमंडल में एक क्रय केन्द्र की स्थापना करना, ताकि वैसे किसान, जिन्हें पैक्स या व्यापार मंडल में धान बिक्री में कठिनाई हो, अंतिम विकल्प के रूप में धान बेच सके। इस क्रय केन्द्र के प्रभारी प्रतिदिन पैक्सों से अधिप्राप्ति प्रतिवेदन प्राप्त कर जिला प्रबंधक को उपलब्ध कराना एवं Online प्रविष्टि कराना।
- अनुमण्डल स्तर पर आवश्यकतानुसार अधिसूचित सी0एम0आर0 संग्रह केन्द्र एवं अतिरिक्त सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्र की स्थापना एवं उसे दिनांक 05.12.2015 से क्रियाशील करना।
- निगम अपने क्रय केन्द्रों पर क्रय किये गये धान का मिलिंग हेतु संबद्ध मिलों पर पहुँचाने की व्यवस्था।
- पैक्सों में अधिप्राप्ति धान के विरूद्ध समानुपातिक सी0एम0आर0 निगम के सी0एम0आर0 केन्द्र पर प्राप्त करना। निगम अपने क्रय केन्द्रों पर क्रय किये गये धान की मिलिंग हेतु सम्बद्ध मिलों पर पहुँचाने की व्यवस्था।
- प्रतिदिन क्रय केन्द्र पर क्रय किये गये धान एवं मिलों में मिलिंग कराये गये चावल से संबंधित प्रतिवेदन विभाग, मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त को भेजना।
- पैक्सों को भुगतान हेतु आवश्यक व्यवस्था एवं लेखा का संधारण एवं अधिप्राप्ति वर्षवार लेखा का अंकेक्षण कराना।
- अधिप्राप्ति कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों को प्रशिक्षण देना।
- अधिप्राप्ति किये गये धान को चावल मिल में पहुँचाने एवं मिल से सी0एम0आर0 प्राप्त कर बिहार राज्य खाद्य निगम के सी0एम0आर0 गोदाम तक परिवहन कराने हेतु राज्य खाद्य निगम की परिवहन व्यवस्था को दुरूस्त रखना। अधिप्राप्ति किये गये धान अथवा सी0एम0आर0 का परिवहन राज्य खाद्य निगम के परिवहन अभिकर्ता के स्वीकृत दर पर करने में कठिनाई हो तो वैसी स्थिति में अधिप्राप्ति धान/सी0एम0आर0 का परिवहन दर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला परिवहन समिति में निर्धारण कर परिवहन का कार्य कराया जाना। साथ ही जिला परिवहन समिति द्वारा निर्धारित दर अनुमोदन हेतु राज्य खाद्य निगम मुख्यालय में भेजना ताकि उक्त अनुशंसा के आलोक में धान अधिप्राप्ति हेतु जिलावार परिवहन दर पर भुगतान बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा किया जा सके।
- किसानों के द्वारा बिहार राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र पर अधिप्राप्ति हेतु लाये गये धान का अनलोडिंग एवं मिलिंग हेतु धान मिल तक पहुँचाने तथा मिल से सी0एम0आर0 बिहार राज्य खाद्य निगम के सी0एम0आर0 गोदाम तक पहूँचाने की जिम्मेवारी बिहार राज्य खाद्य निगम की होगी। इसके लिए बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा पर्याप्त संख्या में मजदूरों की व्यवस्था करना एवं स्वीकृत दर पर भुगतान सुनिश्चित करना।
- पैक्सों/व्यापार मंडलों द्वारा निगम के सी0एम0आर0 गोदाम में सी0एम0आर0 जमा करने के पूर्व राज्य खाद्य निगम के जिला कार्यालय से विहित प्रपत्र में प्रवर्तन प्रमाण–पत्र (Enforcement Certificate) प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगें। सी0एम0आर0 गोदाम

प्रभारी जिला कार्यालय से निर्गत Enforcement Certificate के आधार पर ही पैक्स/व्यापार मंडल से सी0एम0आर0 प्राप्त करेंगें।

- धान अधिप्राप्ति एवं विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति को अधिक सुचारू एवं प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए समय–समय पर आवश्यकतानुसार दिशा निर्देश निगम अपने वित्तीय एवं प्रशासनिक हित में निर्गत करेगी।
- धान अधिप्राप्ति के समापन की सतत् समीक्षा कर दैनिक एवं अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित समयसीमा में प्राप्त करना। खरीफ विपणन मौसम 2015–16 के समापन के उपरान्त गोदामों का सत्यापन एवं अंकेक्षण कराना।

13. <u>अधिप्राप्ति कार्य में सहकारिता विभाग की भूमिका</u>

- जिला स्तर पर एक नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति करेंगें।
- सभी पंजीकृत किसानों/सदस्यों का डाटाबेस Soft Copy में दो दिनों के अन्दर राज्य खाद्य निगम के तकनीकी सहयोग से बेवसाईट पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।
- सहकारिता विभाग को निगम द्वारा Excel Sheet Format उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें सभी वांछित डाटा Soft Copy में प्रविष्टि की जायेगी और इसे राज्य खाद्य निगम के तकनीकी सहयोग से बेवसाईट पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।
- किसानों का सभी डाटाबेस Unicode में एवं अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए ताकि किसानों को असुविधा नहीं हो।
- सभी पैक्सों/व्यापार मंडलों का पंजीकरण राज्य खाद्य निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये Excel Sheet में चरणबद्ध रूप से समय सीमा अन्तर्गत किया जायेगा ताकि पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा क्रय किये गये धान की मात्रा उपलब्ध Software में परिलक्षित हो सके।
- कृषि विभाग एवं सहकारिता विभाग से Soft Copy में प्राप्त किसान डाटाबेस राज्य खाद्य निगम द्वारा समेकित कर सहकारिता विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
- सहकारिता विभाग द्वारा पैक्स/व्यापार मंडल के माध्यम से किसानों से नित्य दिन क्रय किये गये धान के आँकड़ा से भारतीय खाद्य निगम को जिला स्तर पर अवगत करायेंगें, जिसमें किसानों की संख्या, धान की मात्रा का जिलावार विवरणी उल्लेखित हो।
- मिल के पास अवशेष धान की मात्रा से संबंधित साप्ताहित प्रतिवेदन भी राज्य खाद्य निगम/भारतीय खाद्य निगम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें, जिसकी जाँच भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकार के नामित पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से आवश्यकतानुसार की जायेगी।
- अधिप्राप्ति कार्य हेतु सक्षम पैक्सों/व्यापार मंडलों का चयन करना।

- गत वर्ष में अक्रियाशील वैसे पैक्स/व्यापार मंडल जो किसी कारणवश अधिप्राप्ति कार्य में भाग नहीं ले पाये, को खरीफ विपणन मौसम 2015–16 में कार्य करने की स्थिति में लाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करना ताकि सभी पंचायतों में धान अधिप्राप्ति का केन्द्र क्रियाशील हो सके।
- खरीफ विपणन मौसम 2015–16 में पैक्स/व्यापार मंडल सांकेतिक लक्ष्य के विरूद्ध 90 प्रतिशत अर्थात कुल 27 लाख मे0टन धान को एकरारनामित मिल में कुटाई (मिलिंग) करके निगम के अधिसूचित सी0एम0आर0 केन्द्र पर उपलब्ध करायेंगें।
- पैक्स/व्यापार मंडल क्रय केन्द्र पर धान के क्रय के पूर्व निर्धारित मानक के अनुरूप धान की गुणवत्ता की जॉच, प्रत्येक कार्य दिवस को क्रय के पश्चात किसानों को चेक के माध्यम से भुगतान की गई राशि, पैक्स क्रय केन्द्र पर अधिप्राप्ति किये गये धान का

प्रारंभिक भंडार, प्राप्ति एवं अधिशेष भंडार तथा रोस्टर के अनुसार संबद्ध राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र पर धान के स्थानान्तरण की सतत निगरानी, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों यथा प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, अंकेक्षण पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निबंधक इत्यादि को अधिप्राप्ति कार्य हेतु दायित्व निर्धारित करना एवं इनके द्वारा निरीक्षण हेतु मापदंड निर्धारित करना।

- पैक्सों/व्यापार मंडल का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना।
- पैक्स/व्यापार मंडल धान क्रय केन्द्र का भौतिक सत्यापन प्रत्येक सप्ताह में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में किया जायेगा। भौतिक सत्यापन प्रपत्र पर दो स्थानीय निर्वाचित जन प्रतिनिधि का हस्ताक्षर भी अपेक्षित होगा। सत्यापन का फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी भी होगा।
- धान अधिप्राप्ति कार्य, मिलिंग कार्य एवं सी0एम0आर0 हस्तगत कराने का प्रति प्रतिदिन प्रतिवेदन प्राप्त कर विभाग को ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराना।
- पैक्स/व्यापार मंडल को कॉ–ऑपरेटिव बैंक के माध्यम से निधि उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना, ताकि किसानों को तत्काल RTGS/NIFT से ऑनलाईन भुगतान हो सके। वायदा आधारित धान अधिप्राप्ति पर पूर्णतः रोक लगाना।
- निदेशालय स्तर से जिलों में चल रहे अधिप्राप्ति कार्य के पर्यवेक्षण हेतु पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करना।
- पैक्स अध्यक्षों/व्यापार मंडल के प्रबंधकों का अधिप्राप्ति, बैंक संचालन आदि बिन्दुओं पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित करना।
- वैसे जिले जहाँ सहकारी बैंक नहीं है, वहाँ बिहार राज्य सहकारी बैंक द्वारा पूर्व की भाँति वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाय।
- धान अधिप्राप्ति अवधि (31.03.2016) समाप्त होने के दो दिनों के अन्दर पैक्स व्यापार मंडल द्वारा धान अधिप्राप्ति संबंधित अंतिम प्रतिवेदन संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से सौंप दिया जायेगा तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक अधिकतम 10 दिनों के अन्दर संयुक्त हस्ताक्षरित अंतिम समेकित प्रतिवेदन जिला मुख्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगें। ध्यान रहे, कि अंतिम प्रतिवेदन समर्पित करने के पश्चात् उसमें पुनः किसी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। अन्ततोगत्वा जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक के संयुक्त हस्ताक्षरित अधिप्राप्ति संबंधित समेकित अंतिम प्रतिवेदन को जिला पदाधिकारी प्रतिहस्ताक्षरित कर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/सहकारिता विभाग, बिहार, पटना एवं प्रबन्ध निदेशक, राज्य खाद्य निगम, पटना को प्रेशित करना सुनिश्चित करेंगें।

14. <u>कृषि विभाग की भूमिका</u>

- अधिप्राप्ति कार्य हेतु जिला स्तर पर एक नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति करेंगें एवं किसानों के ऑनलाईन निबंधन में सहयोग करना।
- पंजीकृत किसानों का डाटाबेस Soft Copy में तैयार कर दो दिनों के अन्दर सहकारिता विभाग एवं राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।
- किसानों का सभी डाटाबेस Unicode में एवं अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए ताकि किसानों को पंजीकरण में असुविधा नहीं हो।

15. <u>अधिप्राप्ति कार्य में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की भूमिका</u>

- विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि बिहार राज्य खाद्य निगम अधिप्राप्ति कार्य से संबंधित सभी कार्रवाई कुशलता एवं पारदर्शी ढंग से करे।

- नोडल विभाग की हैसियत से अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न विभिन्न अभिकरणों, भारत सरकार तथा विभागों के बीच समन्वय का कार्य करना।

- प्रतिदिन सहकारिता विभाग, बिहार राज्य खाद्य निगम एवं भारतीय खाद्य निगम से अधिप्राप्ति से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त कर संकलित प्रतिवेदन मुख्य सचिव, विकास आयुक्त एवं मुख्य मंत्री सचिवालय को भेजना।

- बिहार राज्य खाद्य निगम को अधिप्राप्ति कार्य हेतु आवश्यक निधि उपलब्ध कराना।

16. **<u>जिलों के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव की भूमिका</u>**

- प्रत्येक माह अपने सम्बद्ध जिले का भ्रमण कर अधिप्राप्ति कार्य की गहन समीक्षा करना एवं जिलों के प्रभारी मंत्री, मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त तथा विभाग को मंतव्य सहित प्रतिवेदन समर्पित करना।

17. **<u>प्रमण्डलीय आयुक्त की भूमिका</u>**

- प्रत्येक सप्ताह अपने संबद्ध जिले का भ्रमण कर अधिप्राप्ति कार्य की गहन समीक्षा करना एवं जिलों के प्रभारी मंत्री, मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त तथा विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करना।

18. **<u>जिला पदाधिकारी की विशेष शक्तियॉ</u>**

- प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशासनिक नियंत्रण जिलाधिकारी एवं प्रबन्ध निदेशक के अधीन होगा। साथ ही धान अधिप्राप्ति एवं सी0एम0आर0 प्राप्ति में जिलाधिकारी पर्यवेक्षण के साथ–साथ अधिक गुरूत्तर जिम्मेदारी के साथ कार्य करेंगे।

- अधिप्राप्ति कार्य के लिए जिला पदाधिकारी किसी भी विभाग के पदाधिकारी/कर्मचारी को प्रतिनियुक्त कर सकेगे।

19. **<u>स्थानान्तरण एवं अवकाश पर प्रतिबंध</u>**

- सामान्य रूप से अधिप्राप्ति की अवधि में इस कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जायेगा। साथ ही साथ इस कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मियों का अवकाश भी स्वीकृत नहीं किया जाय। अत्यंत आवश्यक होने पर एक स्तर उपर से पूर्वानुमति प्राप्त कर अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में स्थानांतरित प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारी धान अधिप्राप्ति कार्य से जुड़े सभी अभिलेख एवं भंडार का पूर्ण प्रभार सौंप कर ही बिरमित होंगें।

- अधिप्राप्ति की अवधि में इस कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अत्यन्त आवश्यक होने पर एक स्तर उपर से पूर्वानुमति प्राप्त कर अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

चूँकि सरकार का यह महत्वकांक्षी कार्यक्रम है एवं राज्य सरकार धान/चावल अधिप्राप्ति कार्यक्रम को सघन अभियान के रूप में संचालित करने तथा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने हेतु संकल्पित है। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय एवं ऐसी व्यवस्था किया जाय कि राज्य के सभी किसानों को बिना किसी कठिनाई के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ क्रय के तुरन्त बाद मिल सके एवं उन्हें अपनी उपज की आपात बिक्री (Distress sale) की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। इस संबंध में किसी भी स्तर पर कोई भी लापरवाही एवं शिथिलता को अति गंभीरता से लिया जायेगा।

विश्वासभाजन,

मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञापांक–प्र04 / ख.वि.अधि.– 01/15–9004 खाद्य, पटना / दिनांक– 01/12/15

प्रतिलिपि–सभी जिला के प्रभारी प्रधान सचिव / सचिव को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

30/11/15
मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक–प्र04 / ख.वि.अधि.–9004 खाद्य, पटना / दिनांक– 01/12/15

प्रतिलिपि–प्रशासक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, पटना / प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना / निबंधक, सहयोग समितियॉ, बिहार, पटना / महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/11/15
मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक–प्र04 / ख.वि.अधि.–9004 खाद्य, पटना / दिनांक– 01/12/15

प्रतिलिपि–सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

30/11/15
मुख्य सचिव, बिहार

खरीफ विपणन मौसम 2015–16 के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति हेतु जिलावार सांकेतिक लक्ष्य

क्र0	जिला का नाम	अनुमानित जिलावार लक्ष्य	राज्य खाद्य निगम का लक्ष्य	पैक्स/व्यापार मंडल का लक्ष्य	अभ्युक्ति
1	पटना	105000	10500	94500	
2	नालन्दा	150000	15000	135000	
3	भोजपुर	111000	11100	99900	
4	बक्सर	87000	8700	78300	
5	रोहतास	210000	21000	189000	
6	कैमूर	150000	15000	135000	
7	गया	107000	10700	96300	
8	जहानाबाद	60000	6000	54000	
9	अरवल	25000	2500	22500	
10	नवादा	85000	8500	76500	
11	औरंगाबाद	151000	15100	135900	
12	सारण	75000	7500	67500	
13	सीवान	86000	8600	77400	
14	गोपालगंज	76000	7600	68400	
15	मुजफ्फरपुर	132000	13200	118800	
16	पू0 चम्पारण	155000	15500	139500	
17	प0 चम्पारण	160000	16000	144000	
18	सीतामढ़ी	88000	8800	79200	
19	शिवहर	23000	2300	20700	
20	वैशाली	30000	3000	27000	
21	दरभंगा	75000	7500	67500	
22	मधुबनी	122000	12200	109800	
23	समस्तीपुर	67000	6700	60300	
24	बेगुसराय	20000	2000	18000	
25	मुंगेर	26000	2600	23400	
26	शेखपुरा	22000	2200	19800	
27	लखीसराय	26000	2600	23400	
28	जमुई	41000	4100	36900	
29	खगड़िया	55000	5500	49500	
30	भागलपुर	45000	4500	40500	
31	बाँका	86000	8600	77400	
32	सहरसा	41000	4100	36900	
33	सुपौल	66000	6600	59400	
34	मधेपुरा	35000	3500	31500	
35	पूर्णिया	65000	6500	58500	
36	किशनगंज	35000	3500	31500	
37	अररिया	45000	4500	40500	
38	कटिहार	62000	6200	55800	
कुल		**3000000**	**300000**	**2700000**	